

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-160/2018-19

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

सम्पति देवी बनाम ललिता देवी

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

सम्पति देवी, पति-धनंजय महतो, ग्राम-दानाडीह, पो०-दानाडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, (झारखण्ड) जाति-कुरमी, पेशा-गृहिणी।

क्रेता का नाम एवं पता -

ललिता देवी, पति-प्रीत महतो, ग्राम-कांशीडीह, पो०-जामुदाग, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, (झारखण्ड) जाति-कुरमी, पेशा-गृहिणी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री मनोज कुमार चौधरी।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-13/12/18 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता ललिता देवी, पति-प्रीत महतो, ग्राम-कांशीडीह, पो०-जामुदाग, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, (झारखण्ड) जाति-कुरमी, पेशा-गृहिणी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
गोमयाडीह	सोनाहातु	59	110	04	04 डी०

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, सोनाहातु का पत्रांक-46(ii) दिनांक-07/02/19 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम भवन महतो वल्द बहादुर महतो कौम कुरमी है।
- (2) विक्रेता खतियानी रैयत/पंजी-II रैयत के वंशज है।
- (3) पंजी-II के अनुसार रैयत के पास कुल 1.02 ए० जमीन है।
- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2009-10 तक वसूली गयी है।

- (5) विक्रेता जमाबंदी रैयत के पौत्र है, तथा जमाबंदी कायम होने का आधार पूर्ण खतियानी है।
- (6) प्रस्तावित जमीन विक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास लगभग 96 डी० शेष रह जाएगा।
- (7) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को बीमारी इलाज हेतु विक्रय कर रही है।
- (8) क्रेता एवं विक्रेता एक ही कुर्मी जाति के सदस्य है।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता एक ही जिला के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सोनाहातु ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता सम्पति देवी, पति-धनंजय महतो, ग्राम-दानाडीह, पो०-दानाडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, (झारखण्ड) जाति-कुरमी, पेशा-गृहिणी, को क्रेता ललिता देवी, पति-प्रीत महतो, ग्राम-कांशीडीह, पो०-जामुदाग, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, (झारखण्ड) जाति-कुरमी, पेशा-गृहिणी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-29/01/2019 को आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, सोनाहातु के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता सम्पति देवी, पति-धनंजय महतो, ग्राम-दानाडीह, पो०-दानाडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, (झारखण्ड) जाति-कुरमी, पेशा-गृहिणी, को क्रेता ललिता देवी, पति-प्रीत महतो, ग्राम-कांशीडीह, पो०-जामुदाग, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, (झारखण्ड) जाति-कुरमी, पेशा-गृहिणी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

#### भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
गोमयाडीह	सोनाहातु/59	110	04	04 डी०

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहत्ता।

बुण्डू (राँची)

भूमि सुधार उप समाहत्ता।

बुण्डू (राँची)